

भ्रामक विज्ञापनों का जाल

डॉ. अरविन्द गुप्ते

आजकल समाचार पत्रों में, विशेष रूप से क्षेत्रीय भाषाई समाचार पत्रों में कुछ विशेष प्रकार के विज्ञापन बहुत अधिक छप रहे हैं। इनके द्वारा सेक्स की शक्ति बढ़ाने वाली, लिंग की लम्बाई और मोटाई बढ़ाने वाली, कद (ऊंचाई) बढ़ाने वाली, शरीर को मांसल बनाने वाली, बालों को लम्बा और घना बनाने वाली दवाओं और उपकरणों का प्रचार-प्रसार किया जाता है। इनके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सर्से दामों पर उपलब्ध कराने वाले और गुप्त रोगों का इलाज करने वाले स्वयंभू डॉक्टरों के विज्ञापन भी बहुतायत में दिखते हैं। गौरतलब है कि इनमें से अधिकांश विज्ञापनों में विक्रेता का पता-ठिकाना नहीं, केवल मोबाइल नम्बर दिया होता है।

दवाओं के कुछ विज्ञापनों में तो किसी ऐसे व्यक्ति का नाम, फोटो और पता दिया होता है जो यह दवा करता है कि उस दवा के सेवन से उसे कितना लाभ हुआ है।

यह समझना उपयोगी होगा कि किसी दवा को बाज़ार में लाने की वैज्ञानिक और वैद्य प्रक्रिया क्या होती है। आम तौर पर किसी दवा की खोज की शुरुआत छोटे जंतुओं (जैसे चूहों या खरगोशों पर) उस दवा के असर का अवलोकन करके की जाती है। जब इनमें उस दवा का फायदेमंद असर दिखाई दे और अन्य कोई साइड इफेक्ट न दिखाई दें तब इस दवा के मनुष्यों पर परीक्षण की अनुमति दी जाती है। यह परीक्षण दवा निर्माता कम्पनी स्वयं कर सकती है या किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा करवाया जा सकता

है। परीक्षण पांच-दस नहीं, काफी बड़ी संख्या में लोगों पर करना होता है। कड़े परीक्षण के बाद यह ज़रूरी होता है कि परीक्षण की पूरी प्रक्रिया और परिणामों को किसी मान्यता प्राप्त पत्रिका में प्रकाशित किया जाए ताकि अन्य वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को दोहरा सकें। दवाओं के परीक्षण की इस प्रक्रिया का पालन विकसित देशों में सख्ती से किया जाता है।

यदि एक-दो या पांच-दस व्यक्ति यह कहें कि किसी दवा के सेवन से उनका कद बढ़ गया है या उनका शरीर मांसल हो गया है, तो इसका कोई मतलब नहीं होता। आम तौर पर शरीर की लम्बाई इस पर निर्भर करती है कि आपके माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी, और उनसे भी पहले के पुरुषों की औसत लम्बाई कितनी थी। छोटे कद वाले कई व्यक्तियों की लम्बाई एक आयु के बाद अपने आप बढ़कर सामान्य हो जाती है। यदि ऐसा व्यक्ति कद बढ़ाने वाली दवा का सेवन करे तो भी यह कहना कठिन होता है

कि उसकी लम्बाई अपने आप बढ़ी है या दवा के कारण। यह भी संभव है कि छोटे कद वाला व्यक्ति दवा लेने के साथ लम्बाई बढ़ाने वाले कुछ व्यायाम भी करता हो। यही हाल शरीर को मांसल बनाने वाली दवाओं का होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर को मांसल बनाना चाहता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि वह दवा लेने के साथ कसरत भी करता होगा। इसके साथ यह महत्वपूर्ण मुद्दा भी जुड़ा है कि मांसपेशियों



को बढ़ाने वाली कई दवाएं (विशेष रूप से वे जिन्हें एनाबोलिक स्टेरोइड कहा जाता है) शरीर पर कई हानिकारक प्रभाव छोड़ती हैं।

गुप्त रोगों का इलाज करने वालों की अपनी एक अलग ही कहानी है। इनमें से अधिकांश के पास कोई मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं होती, किंतु ये अपने नाम के आगे ‘डॉक्टर’ ज़रूर लिखते हैं। ये जिस प्रकार की दवाएं मरीज़ों को देते हैं वे या तो एन्टीबायोटिक होती हैं या फिर इनमें स्वास्थ्य के लिए खतरनाक भारी धातुएं होती हैं। यह सही है कि गुप्त रोगों का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से किया जाता है, किंतु किस रोग के लिए कौन-सी एंटीबायोटिक दवा, कितनी मात्रा में दी जाए इसकी जानकारी उसी डॉक्टर के पास होती है जिसने इस विषय में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इसके विपरीत नीम-हकीम अपने मरीज़ों पर बिना जानकारी के एंटीबायोटिक दवाओं का बहुत गैर-ज़िम्मेदाराना ढंग से उपयोग करते हैं। चूंकि हमारे देश में गुप्त रोग के मरीज़ों में अपनी बीमारी को छुपाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, फर्ज़ी डॉक्टरों के पास मरीज़ों की कमी नहीं होती। ऐसे में मरीज़ का उपचार तो हो नहीं पाता, उसका पैसा भी व्यर्थ चला जाता है और शरीर को हानि पहुंचने की संभावना अधिक होती है। कुछ ऐसे भी उदाहरण सामने आए हैं कि इस प्रकार के तथाकथित डॉक्टर मरीज़ों को ब्लैकमेल करके उनका आर्थिक या शारीरिक शोषण भी करते हैं।

आजकल बाज़ार में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बाढ़ आई हुई है। कई विज्ञापन अलग-अलग प्रकार के मोबाइल फोन, वीडियो कैमरे, सीसीटीवी उपकरण, आदि बहुत सस्ते दामों पर बेचने का दावा करते हैं। किंतु इनमें दुकान का कोई पता दिया हुआ नहीं होता, केवल टेलीफोन नम्बर होता है जिस पर आप ॲर्डर दे सकते हैं और माल का पार्सल आने पर आपको नकद रकम देकर इसे छुड़ाना होता है। यदि प्राप्त सामग्री संतोषजनक न हो तो आपको यह पता नहीं होता कि किसके पास या किसके खिलाफ शिकायत की जाए।

कुछ विज्ञापनों में वैज्ञानिकता का झूठा आभास दिया

जाता है। इसका एक उदाहरण कपड़े धोने के साबुनों के विज्ञापनों में मिलता है। इनमें बड़ी-सी प्रयोगशाला में सफेद कोट पहने वैज्ञानिक दिखाए जाते हैं। इससे यह भ्रम होता है कि फलां साबुन वैज्ञानिक शोधकार्य करके बनाया गया है। वास्तव में कपड़े धोने के लगभग सभी साबुनों में एक ही प्रकार के रसायन होते हैं, केवल खुशबू के लिए अलग-अलग प्रकार के सुगंधित पदार्थ मिलाए जाते हैं। इन्हें बनाने के लिए किसी बड़े शोधकार्य की आवश्यकता नहीं होती।

कई विज्ञापनों में किए गए दावों की सावधानीपूर्वक छानबीन करने की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि बोतलबंद पानी बनाने वाला कोई निर्माता यह दावा करे कि उसके पानी में अन्य बोतलबंद पानी की तुलना में काफी अधिक मात्रा में ॲक्सीजन है, तो हमें सोचना चाहिए कि क्या ऐसा करना संभव है, और यदि है तो इससे क्या लाभ होता होगा। पहली बात तो यह है कि पानी में दबाव के साथ कार्बन डाइऑक्साइड तो भरी जा सकती है (जैसा पीने के सोडे में होता है) किंतु ॲक्सीजन की एक सीमित मात्रा ही पानी में दबाव के साथ भरी जा सकती है। फिर जिस प्रकार सोडा वॉटर की बोतल खोलते ही उसमें घुली कार्बन डाइऑक्साइड तेज़ी से बाहर निकल कर वातावरण में मिल जाती है, उसी प्रकार ॲक्सीजन भी पानी से निकल जाएगी। मान लीजिए कि आपने ॲक्सीजन निकलने से पहले पूरी बोतल भर पानी गटक लिया, तो भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ॲक्सीजन को शरीर में सोखने की क्षमता केवल फेफड़ों में ही होती है, आहार नलिका में नहीं।

विकसित देशों में विज्ञापनों पर सख्ती से नज़र रखी जाती है और ब्रामक विज्ञापनों को प्रकाशित करने पर सज़ा का प्रावधान होता है। यहां तक कि इस बारे में कड़े कानून हैं कि अपने नाम के आगे ‘डॉक्टर’ कौन लिख सकता है। जैसे, इंग्लैंड में डिग्रीधारी दंत चिकित्सक भी अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लिख सकते। हमारे देश में प्रचलित लचर कानूनों और इनको लागू करने वाली भ्रष्ट प्रणाली के गठजोड़ का नतीजा यह होता है कि विज्ञापनों पर कोई नियंत्रण नहीं होता और उपभोक्ता ठगा जाता है। (**स्रोत फीचर्स**)